O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 5026
Date 06 MAR 2023

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन:— **U40108CT2003SGC015820**

कार्या :— मुख्य अभियंता (मा0सं0)

क्रमांक :— 01—01 / अ.प्र.क. / 08 / 2022 / 1248 रायपुर, दिनांक 06/03/2023

(अपील पंजीयन कमांक 08, दिनांक 30.09.2022)

श्री सूर्यांश कुमार पाण्डेय अपीलार्थी
रायपुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

—:: आदेश ::—

(दिनांक 06/03/2023 को पारित)

अपीलार्थी श्री सूर्यांश कुमार पाण्डेय ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—दो, के निर्णय दिनांक 08.08.2022 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) — प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :—

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी / दस्तावेज ।	कनिष्ठ अभियंता ब्रांच (इलेक्ट्रीकल) भर्ती परीक्षा की निम्न जानकारी :— (1) **Cut of marks for all categary** (2) **Normalization method,**	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :—	जन सूचना अधिकारी द्वारा जो जानकारी उपलब्ध करायी गई है वह गलत व त्रुटिपूर्ण जानकारी है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि भर्ती वर्तमान में प्रकियाधीन है जो गलत है। अतएव उन्हे चाही गयी जानकारी उपलब्ध करायी जाए।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :—
		19.10.2022	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित। अपीलीय अधिकारी श्री के.के.भौरासे का स्थानांतरण भिलाई होने के कारण उक्त तिथि को अपील में सुनवाई नहीं की जा सकी।
		17.02.2023	निर्धारित तिथि के संबंध में अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया। जनसूचना अधिकारी उपस्थित व अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतः अपील में सुनवाई नहीं की जा सकी।
		01.03.2023	अपीलार्थी को सुनवाई का अंतिम अवसर प्रदान किया गया। निर्धारित तिथि के संबंध में अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया। उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित किन्तु अपीलार्थी पुनः अनुपस्थित रहें। अतएव प्रकरण में गुण—दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क :–		जनसूचना अधिकारी का तर्क/कथन कि अपीलार्थी को चाही गई बिन्दुवार जानकारी के संबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र कमांक 400 दिनांक 08.08.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रीकल) पद पर भर्ती वर्तमान में प्रकियाधीन है। अतः जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। तथापि उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् आपके द्वारा नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर आपको सूचनाधिकार में निहित प्रावधानों के अंतर्गत जानकारी/दस्तावेज प्रदान किए जा सकेंगे। चूंकि तत्कालीन समयावधि में कनिष्ठ अभियंता पद पर भर्ती प्रकियाधीन थी। अतएव अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है। यद्यपि वर्तमान में उक्त पदों पर भर्ती पूर्ण हो चुकी है। अतः भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारियॉ पॉवर कंपनी के वेबसाइट WWW,CSPC.IN पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि बिन्दु कमांक 01 में अपीलार्थी द्वारा चाही गयी जानकारी पॉवर कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अतः अपीलार्थी उक्त जानकारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है। सूचनाधिकार के अंतर्गत सूचना जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में है, की मांग इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं की जानी है। बिन्दु कमांक 02 में अपीलार्थी द्वारा **Normalization method** के संबंध में जानकारी चाही गयी है। तत्संबंध में लेख है कि परीक्षा संचालित एजेंसी द्वारा उक्त भर्ती में **Normalization** किया गया है। अतएव **Normalization** पद्धति एजेंसी का अधिकारगत विषय है। वस्तुतः उक्त जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है अतः उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। सूचनाधिकार के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्को से ऐसा प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही की गयी है वह विधि संगत है।

सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रीकल) भर्ती परीक्षा के संबंध में जानकारी चाही गयी है। चूंकि तत्कालीन समयावधि में भर्ती प्रकियाधीन थी। अतएव भर्ती कार्यवाही की गोपनीयता के दृष्टिगत जनसूचना अधिकारी द्वारा जो सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गयी है वह स्वीकार योग्य है। वर्तमान में उक्त पदों की भर्ती पूर्ण हो चुकी है। अतः बिन्दु 01 की जानकारी पॉवर कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। जहॉ से अपीलार्थी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

जहॉ तक बिन्दु कमांक 02 में अपीलार्थी द्वारा कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रीकल) भर्ती में अपनाई गयी **Normalization method** के संबंध में जानकारी चाही गयी है। तत्संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा तालिका **(IV)** में दिये गये तर्कनुसार, उक्त जानकारी/दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, अतः उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी केवल ऐसी सूचना उपलब्ध करा सकता है, जो विद्यमान है और उसके पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये गये तर्क स्वीकार योग्य है। अतएव प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। तदनुसार अपील प्रकरण क्रमांक 08/2022 दिनांक 30.09.2022 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह मुख्य अभियंता (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक– 0771–2574700

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.क./08/2022/1249 रायपुर, दिनांक 06/03/2023

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) **Shri Suryansh Kumar Pandey, C/0 Shri P.C.Pandey H. – NO- 45, IAS Colony, Dharampura, Raipur (C.G.) Pin No. -492012** को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC) छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव
छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, नवा रायपुर

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह मुख्य अभियंता (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक– 0771–2574700